



पत्रांक :- KGBV/53/2019-20/

4834

दिनांक :- 10/08/2022

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान),
सभी जिले।

विषय :- कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में वार्डेन को आपातकालीन स्थिति में व्यय हेतु रूपये 10,000/- की अग्रिम राशि देने के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यालय पत्रांक KGBV/99/2011-12/476, दिनांक 17.01.2014।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके कंडिका 14 के माध्यम से के०जी०बी०भी० वार्डेन को आपातकालीन स्थिति में व्यय हेतु 10,000/- की अग्रिम राशि देने का निदेश दिया गया था।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत राशि विमुक्ति एवं व्यय की नई प्रक्रिया लागू होने के फलस्वरूप के०जी०बी०भी० के Zero Balance Subsidiary Account से वार्डेन को आपातकालीन स्थिति में व्यय हेतु रूपये 10,000/- की राशि Imprest Money के रूप में अग्रिम स्वरूप उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। इस राशि का उपयोग कार्यालय पत्रांक KGBV/99/2011-12/476, दिनांक 17.01.2014 के कंडिका (14) में दिये गये निदेश के अनुसार किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(असंगबा चुबा आओ)
राज्य परियोजना निदेशक